



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072021-228048
CG-DL-E-01072021-228048

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 187]
No. 187]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 1, 2021/आषाढ 10, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 1, 2021/ASHADHA 10, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
सार्वजनिक सूचना
नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2021
सं. 11/2015-2020

विषय: उदगम प्रमाण पत्र (गैर तरजीही) जारी करने हेतु प्राधिकृत मैसर्स ओरिएंटल चेंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्री को परिशिष्ट-2ड. के तहत सूचीबद्ध करने के संबंध में।

फा. सं. 01/93/180/41/एएम-20/पी.सी-II(बी)/ई-23705.—विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा निम्नलिखित एजेंसी को उदगम प्रमाण पत्र (गैर तरजीही) जारी करने हेतु प्राधिकृत करते हैं:

मैसर्स ओरिएंटल चेंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्री,
प्लॉट नं. 11, कोटक महिन्द्रा बैंक के ऊपर, इंदिरा नगर
मंडीदीप-462046, जिला. रायसेन
दूरभाष: 9827622438, 9893981916
ई-मेल: occimdp@gmail.com

2. तदनुसार, उपर्युक्त एजेंसी का नाम एफटीपी (2015–20) के परिशिष्ट एवं आयात निर्यात प्रपत्र के परिशिष्ट 2ड. [उद्गम प्रमाण पत्र (गैर तरजीही) जारी करने हेतु प्राधिकृत एजेंसियों की सूची] की क्रम सं. 07 (मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़) पर जोड़ दिया गया है।
3. **इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:** विदेश व्यापार नीति (2015–2020) के परिशिष्ट 2ड. के तहत मैसर्स ओरिएंटल चेंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्री को उद्गम प्रमाण पत्र (गैर-तरजीही) जारी करने हेतु सूचीबद्ध किया गया है।

अमित यादव, महानिदेशक
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 1st July, 2021

No. 11 /2015-2020

Subject: Enlistment under Appendix 2-E of M/s. Oriental Chamber of Commerce and Industry authorized to issue Certificate of Origin (Non-Preferential) – reg.

F. No. 01/93/180/41/AM-20/PC.II(B)/E-23705.—In exercise of powers conferred under paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy 2015-2020, the Director General of Foreign Trade hereby authorizes the following agency to issue Certificate of Origin (Non Preferential):

M/s. Oriental Chamber of Commerce and Industry,
Plot No. 11, above Kotak Mahindra Bank, Indira Nagar
Mandideep- 462046, Dist. Raipur
Tel. no.: 9827622438, 9893981916
E-mail : occimdp@gmail.com

2. Accordingly, name of the above agency is added at Serial No.07 (Madhya Pradesh/ Chhatisgarh) of Appendix 2E [List of Agencies Authorized to issue Certificate of Origin (Non-Preferential)] to Appendices & Aayat Niryat Forms of FTP (2015-2020).
3. **Effect of this Public Notice:** M/s. Oriental Chamber of Commerce and Industry is enlisted under Appendix 2E of FTP, 2015-2020 for issuing Certificate of Origin (Non-Preferential).

AMIT YADAV, Dir. Genl. of Foreign Trade &
Ex-officio Addl. Secy.